


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : ई-26/चार्ज हस्तानरण / 2019/
दिनांक : 31.05.2019

—: आदेश :-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.34 (39)चिस्वा/2/2019 दिनांक 01.04.2019 के द्वारा डॉ. संजीव जैन अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय को राज्य सेवा में अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष पूर्ण करने पर दिनांक 31.05.2019 से सेवानिवृत्त किया है, को आज दिनांक 31.05.2019 को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई-26/चार्ज हस्तानरण / 2019/144

दिनांक : 31.05.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर।
4. डॉ. संजीव जैन अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने पद का चार्ज डा0 के0के0 शर्मा संयुक्त निदेशक, जोन जयपुर को सम्भलावें।
5. डॉ. के.के. शर्मा संयुक्त निदेशक, जोन जयपुर को पालनार्थ।
6. डीपीसी/एटीसी राजपत्रित, मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय।
8. आदेश /निजी पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर